

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज 15/2024 <del>अप्रैल</del> सुरेश कुमार <del>रानी</del>	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
31/12/25	<del>पत्रावली पेश हुई। गैरसहायक अधु</del> <del>गैरसहायक कि-तकवी जयें समुच्च</del> <del>वाकर, पत्रावली दिनेंक 21/01/26 को पेश</del> <del>हो।</del>	71/2 11/12/25
2/01/26	<del>पत्रावली पेश हुई। अतिमापक परिषद</del> <del>द्वारा कार्य स्थगित करने में पत्रावली दिनेंक</del> <del>29/01/26 को पेश हो।</del>	
29/01/26	पत्रावली पेश हुई। अतिमापक परिषद कोट द्वारा आज _____ के कारण कोर्ट कार्य स्थगित रखा गया। पत्रावली पूर्ववत दिनांक 6/2/26 को पेश हो।	
6/2/26	पत्रावली पेश हुई। अतिमापक परिषद कोट द्वारा आज _____ के कारण कोर्ट कार्य स्थगित रखा गया। पत्रावली पूर्ववत दिनांक _____ को पेश हो।	
13/2/26	पत्रावली पेश हुई। गैरसहायक अधु <del>पत्रावली</del> <del>द्वारा जरा उच्च इतभासा गैरसहायक</del> <del>के विरुद्ध 02 संख्या 13 RP 60 वर्ष 2023</del> <del>में फर्त होने पर राज. सुपुन नियंत्रण अधि</del> <del>1925 के तहत प्रस्तुत किया है। उच्च</del> <del>इतभासा न्यायालय में दिनेंक 29/01/24</del> <del>को न्यायालय एक वर्ष के अधि के बाद</del> <del>पेश हुआ। इतभासा पर राज. सुपुन</del> <del>नियंत्रण अधिनियम के तहत सावधानी के</del> <del>अनुसार धारा 3 के अधीन किसी कार्यवाही</del> <del>के प्रारम्भ किये जाने से ठीक 6 माह पूर्व की</del> <del>अधीन के दौरान उपबन्ध (i) (xi) (vii) या (viii)</del> <del>में वर्णित आदेशों या सुनो के जैसी ही</del> <del>स्थिति हो कम से कम तीन अवसरों पर प्रस्ता</del> <del>हूआ पाया जाए। प्रस्तुत इतभासा के</del>	



15/02/24 सरनार / सुरेश कुमार खत्री

170 गैरवापक के विरुद्ध 02 प्रकरण वर्ष 2023 में  
दर्ज होने संबंधित किया जाकर लगभग 1 वर्ष  
के कवायद के बाद पेश किया गया है। राज  
गुप्त विषयगत कानूनी कार्य के प्रायश्चित्त के अद्वय  
गैरवापक 6 माह के कवायद के कारण अपराधी  
को विपन्न इलाकाओं पर अबाध नहीं है। अतः  
नियमावली के अंतर्गत गैरवापक के विरुद्ध वास्तु  
सिपका अधिनियम के तहत कार्यवाही किया  
जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होगा है। अतः वास्तुकार  
द्वारा प्रस्तुत इलाकाओं इलेक्ट्रिक पर वीरज किया  
गया है। निष्पत्ति कि प्रति संबंधित वास्तुकार  
के विरुद्ध जबकि पत्रावली अंतर के कम कि  
जाकर कार्रवाई दफ्तर है।



अति. जिला कलेक्टर  
कोटा